



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, शक्रवार, मार्च 22, 2019/चैत्र 1, 1941

No. 107]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2019/CHAITRA 1, 1941

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

(राष्ट्रीय महत्ता की संस्था, संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2019

सं. आरसीबी/एए/2019/01.—क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 के 36वें) की धारा 32 की उप-धारा (4) के अनुसार अपेक्षित वर्ष 2017-18 के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र का वार्षिक लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र

राशि (रु.) में

कॉर्पस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची			चालू वर्ष	
मूल संरचना के लिए पूंजी अनुदान	1		—	1589,46,572	—
आरक्षित एवं सरप्लस	2		—	4,15,012	—
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7 (A)		—	6113,93,319	—
बॉयोटेक साइंस क्लस्टर (बीएससी)	7 (B)		—	22889,71,991	—
कुल			30597,26,894		24205,00,149
परिसंपत्तियां					
स्थायी परिसंपत्तियां	8		—	1432,10,252	—
निवेश / अन्य	10 व 11 (B)		—	2575,97,100	—
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	10 व 11 (A+C)		—	5548,55,187	—
बॉयोटेक साइंस क्लस्टर (बीएससी)	10 व 11 (D)		—	21040,64,355	—
क. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	8		19869,73,829	19519,46,843	
ख. बीएससी निर्माण के लिए अग्रिम	10 व 11 (D ii & iii)		1062,43,350	311,38,229	

ग. अल्पावधि जमा में निधि	10 व 11 (D i)	34,00,000	34,00,000
घ. उपाजित ब्याज एवं टीडीएस	10 व 11 (iv+v)	74,47,176	74,07,071
कुल		30597,26,894	24205,00,149
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		अलग से संलग्न
लेखों, आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियां	25		अलग से संलग्न

बिजु मैथ्यू
वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन और वित्त)

डॉ. सुधांशु ब्रती
कार्यपालक निदेशक

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक: 10/08/2018

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

राशि (रु.) में

अनुसूची 22—एनसीआर बॉयोटेक साइंस क्लस्टर के घटकों से अंशदान तथा व्यय की स्थिति	1.4.2017 को आरंभिक शेष	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्ति	31.3.2018 को शेष
अंशदान तथा ब्याज			
1. ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट	10116,38,536		10116,38,536
2. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान	1879,02,000		1879,02,000
3. क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र	6500,65,000		6500,65,000
4. बीआईआरएसी बॉयो-इंक््यूबेटर	2070,15,848	279,00,000	2349,15,848
5. एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म सेंटर	577,22,000	398,84,000	976,06,000
6. बीएससी निधियों के निवेश पर ब्याज	722,16,030	4,19,413	726,35,443
घटकों से प्राप्त कुल अंशदान	21865,59,414	682,03,413	22547,62,827
अग्रिम, व्यय तथा आउटफलो			
1. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	19519,46,843	350,26,986	19869,73,829
2. बीएससी निर्माण हेतु अग्रिम	311,38,229	751,05,121	1062,43,350
3. एमसीएफ में बतौर सिक्योरिटी मार्जिन मनी	34,00,000	-	34,00,000
4. उपाजित ब्याज एवं टीडीएस	74,07,071	40,105	74,47,176
उपयोग की गई कुल निधियां	19938,92,143	1101,72,212	21040,64,355
आरसीबी के पास एनसीआर निधियों का शेष	1926,67,271		1506,98,472

बिजु मैथ्यू
वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन और वित्त)

डॉ. सुधांशु ब्रती
कार्यपालक निदेशक

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक: 10/08/2018

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र**अनुसूची 24: 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा का भाग बनाने वाली लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां**

1. वार्षिक लेखा को लेखाकरण की प्रोद्भूत प्रणाली के संशोधित प्रारूप में बनाया गया है।
2. चूंकि दिनांक 1.3.2017 को आरसीबी के बिल पारित किए जाने तथा उसके बाद सितंबर 2017 के दौरान स्वीकृत परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमों को अधिसूचित किए जाने के उपरांत केन्द्र में ग्रेच्युटी तथा छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयताओं को आरसीबी की अनुमोदित सेवा शर्तों के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखों में शामिल किया गया है।
3. (क) आवृत्ति अनुदानों को आय-व्यय लेखों में मान्यता दी गई है तथा गैर-आवृत्ति अनुदानों को पूंजी के भाग के रूप में दर्शाया गया है।
(ख) मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित कोर निधियों के लिए अनुदान को आस्थगित आय मानते हुए इस प्रकार की परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि के व्यवस्थित एवं विवेकशील आधार पर इनको आय एवं व्यय खातों में मान्यता दी जाती है अर्थात् ऐसे अनुदान को उस अवधि तथा अनुपात में बतौर आय आबंटित किया जाता है जिसके लिए मूल्यह्रास (लेखा मानक 12 के अनुसार) लिया गया है। इस प्रकार के अनुदान से संबंधित वर्ष के दौरान 576,53,664.00 रु. की राशि को बतौर आय मान्यता प्रदान की गई।
4. (क) आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों की स्थापना/उपयोग में लाने की तिथि से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। विगत वर्ष के दौरान निर्धारित दर के अनुसार ही मूल्यह्रास लिया गया है।
(ख) मूल्यह्रास अधिग्रहित वर्ष के दौरान लिया गया है तथा बेची गई/उपयोगीहीन परिसंपत्तियों के लिए वर्ष के दौरान मूल्यह्रास नहीं दिया गया है। वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों से प्राप्तियों/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर लिया जाता है।
5. (क) जैवप्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त मुख्य अनुदानों से स्थायी परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं। परियोजना निधियों से आपूर्तिगत किसी भी उपकरण को अभी तक पूंजीगत नहीं किया गया है।
(ख) स्थायी परिसंपत्तियों को आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा कर एवं अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक तथा प्रत्यक्ष खर्च सहित लागत अधिग्रहण में दर्शाया जाता है।
6. रसायन, शीशे का सामान, उपभोग्य पदार्थ तथा लेखन सामग्री को वर्ष के अंत में भंडार शेष की गणना किए बिना खरीद के समय ही इनका उपभोग दर्शाया गया है।
7. इसके अतिरिक्त खातों में उपभोग्य/उपकरणों या अन्य स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद से संबंधित सभी प्रविष्टियों को संतोषजनक जांच/स्थापना रिपोर्ट जमा करने के समय ही पारित किया जा रहा है भले ही आपूर्तियों/उपकरणों की वास्तविक प्राप्ति की तिथि अन्यथा रही हो।
8. विदेशी मुद्रा में की गई लेनदेन को अमुक लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।
9. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक निर्मुक्तियों से इतर विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत बजट के अनुसार संस्थान की विभिन्न परियोजनाओं पर आवृत्ति व्यय हेतु एक नीति है। चूंकि प्रायोजित एजेंसी द्वारा जारी वास्तविक धनराशि विभिन्न घटकों के अधीन होती है, इसलिए यह राशि अनुमोदित खाता शीर्षों पर परियोजना की संपूर्ण स्वीकृति की परिसीमा में ही व्यय की जा रही है।
10. विगत वर्ष के शेष को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित कर संबंधित शीर्षों के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया गया है।
11. परियोजना प्रबंधन कंसलटेन्ट (इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड) द्वारा यथासूचित एनसीआर बीएससी में अन्य भवनों के साथ-साथ संस्थान के भवन निर्माण पर खर्च तथा आकस्मिक उपरिव्यय को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में जोड़कर पीएमसी द्वारा अंतिम किए गए खातों के जमा करने के बाद ही भवन के साथ पूंजीगत किया जाता है। यह परियोजना एक समझौते के तहत संचालित की जा रही है जिसमें एनसीआर बॉयोटेक साइंस क्लस्टर द्वारा एक एस्करो अकाउंट का प्रचालन निश्चित किया गया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (परियोजना प्रबंधन कंसलटेन्ट) है।
12. संस्थान को फरीदाबाद स्थित परिसर के निर्माण के चरण 1 व चरण 1 (विस्तार) हेतु विभिन्न संस्थानों से 2254,47,62,827.00 रु. (आरसीबी सहित) अंशदान प्राप्त हुआ है। इसके समेकित विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	घटक भागीदार	1.4.2017 को आरंभिक शेष	2017-18 के दौरान प्राप्ति	31.3.2018 को कुल प्राप्ति
1.	टीएचएसटीआई	10116.39		10116.39
2.	एनआईआई	1879.02	-	1879.02
3.	आरसीबी	6500.65	-	6500.65
4.	बॉयो-इंक््यूबेटर	2070.16	279.00	2349.16
5.	एटीपीसी	577.22	398.84	976.06
6.	बीएससी निधियों के निवेश पर ब्याज	722.16	4.20	726.35
	कुल	21865.59	682.04	22547.63

और 31 मार्च 2018 तक ऐसे अंशदान के प्रति किए गए कुल खर्च की राशि 21040,64,355.00 रु. है। हालांकि ईआईएल द्वारा संविदा के अनुसार 100 प्रतिशत निर्माण पूरा कर लिया गया है, तथापि, खातों का अंतिम रूप से समायोजन तथा परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया जाना ईआईएल द्वारा अंतिम किए गए बिलों के जमा न करने के फलस्वरूप लंबित है।

13. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य लेखाबद्ध किए गए हैं जिसमें टीएचएसटीआई, आरसीबी, एनआईआई, एटीपीसी, बॉयो-इंक्यूबेटर के पूर्वनिर्मित प्रयोगशाला भवन, छात्रावास तथा संकाय आवास एवं सामान्य सुविधाएं जैसे इंजीनियरिंग सेवाएं, सड़के, बिजली संबंधी स्थापनाएं, मल शोधन संयंत्र इत्यादि शामिल हैं। घटक भागीदारों के साथ किए गए औपचारिक समझौते के अनुसार व्यय का घटकवार आबंटन तथा सामान्य सुविधाओं सहित परिसंपत्तियों का पूंजीकरण, परियोजना के समापन पर किया जाएगा।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं

1. वर्ष 2017-18 के दौरान आर्डर किए गए 81,68,697.00 रु. की राशि के उपभोज्य पदार्थों के परचेज ऑर्डर दिनांक 31.03.2018 तक बकाया हैं जिन्हें बहीखातों में मान्यता नहीं दी गई है।

2. वर्ष 2017-18 के दौरान आर्डर किए गए 66,06,581.00 रु. की राशि के उपकरणों के परचेज ऑर्डर दिनांक 31.03.2018 तक बकाया हैं जिन्हें बहीखातों में मान्यता नहीं दी गई है।

बिजु मैथ्यू

वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन और वित्त)

(डॉ. सुधांशु व्रती)

कार्यपालक निदेशक

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक: 10/08/2018

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2018 को आरसीबी अधिनियम, 2016 की धारा 32 (1) के साथ पठित लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के संलग्न तुलन पत्र तथा आय-व्यय खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खातों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण आरसीबी प्रबंधन का दायित्व हैं। हमारा दायित्व इस लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखापद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटन मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण से संबंधित लेखा व्यवहारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निहित हैं। वित्तीय लेनदेन पर कानून, नियम एवं विनियम (संपत्ति एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता-सह-निष्पादन पहलु इत्यादि, यदि कोई है, के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निरीक्षण रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया गया है।

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत अपेक्षा की जाती है कि हम वित्तीय विवरणों के सभी प्रकार की तथ्यजनक भ्रांतियों से मुक्त होने के बारे में कारणाधिक आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की योजना तैयार कर उसे निष्पादित करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटन हेतु उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की जांच आधार पर परीक्षण करना सम्मिलित होता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा प्रदत्त राय हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित करते हैं कि:

- हमने रिपोर्ट में उल्लिखित ऐसी समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे विवेकानुसार इस लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।
- इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, आय-व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खातों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- हमारी राय में, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़कर आरसीबी द्वारा बहीखातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों को ठीक प्रकार से बनाए रखने की उचित व्यवस्था की है।
- हम यह भी सूचित करते हैं कि:

(क) तुलनपत्र

1. समग्र निधि – (अनुसूची-1) – रु. 15.89 करोड़

आरसीबी के पास पूंजी/समग्र निधि के तहत 500.00 लाख की पूंजीगत अनुदान है जबकि वास्तविक तौर पर पूंजीकृत राशि 421.18 लाख रु. थी जिसे वर्ष के दौरान बतौर अतिरिक्त समग्र निधि के तहत दर्शाया गया था। इस प्रकार, 78.82 लाख रु. का अंतर दृष्टिगोचर हुआ है जिसे वर्तमान देयताओं के तहत दर्शाया गया था।

इसके परिणामस्वरूप, समग्र निधि को 78.82 लाख रु. अधिक दर्शाया गया तथा इतनी ही राशि को सरकारी अनुदान के नाम पर वर्तमान देयताओं में कम दर्शाया गया।

(ख) आय-व्यय खाता

1. आय: मियादी जमा पर ब्याज/बचत खाता – (अनुसूची-18) – रु. 45.07 लाख

(क) मुख्य अनुदान से ब्याज के तौर पर अर्जित राशि 45.07 लाख रु. को आय-व्यय खातों में “आय” दर्शाया गया है। इसे डीबीटी को सूचित किया जाना/लौटाया जाना था।

इस प्रकार, आरसीबी ने अपनी आय एवं ‘सरकार को लौटाए गए अव्ययित अनुदान’ के नाम पर वर्तमान देयताओं के प्रति क्रमशः 45.07 लाख रु. अधिक एवं कम दिखाया है।

2. व्यय:

2.1 अन्य प्रशासनिक व्यय:

(अनुसूची 21: रु. 1086.99 लाख)

उपरोक्त में विगत वर्ष से संबंधित 31.70 लाख रु. का व्यय शामिल है जिसे पूर्वावधि व्यय के तहत दर्शाया जाना था। परिणामस्वरूप, अन्य प्रशासनिक व्यय एवं पूर्वावधि व्यय के तहत विवरणों में क्रमशः 31.70 लाख रु. अधिक एवं कम दर्शाए गए हैं।

(ग) अनुदान सहायता

आरसीबी को वर्ष 2017-18 के दौरान डीबीटी से 20.65 करोड़ रु. का कुल अनुदान प्राप्त हुआ, जिसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के लिए 1.83 करोड़ रु. की अव्ययित अनुदान को आगे ले जाया गया है। इसके अतिरिक्त ब्याज से 0.45 करोड़ रु. तथा आंतरिक स्रोतों से 0.69 करोड़ रु. की आय भी अर्जित की गई। इस प्रकार, आरसीबी के पास व्यय हेतु 23.62 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। आरसीबी द्वारा 21.21 करोड़ रु. तथा 2.38 करोड़ रु. (पूर्वावधि) की कुल राशि खर्च की गई तथा 31 मार्च 2018 तक 0.03 करोड़ रु. को बतौर अव्ययित अनुदान दर्शाया गया।

(घ) सामान्य

(क) आरसीबी ने बॉयोटेक साइंस क्लस्टर (बीएससी) निधि की 22889.72 लाख रु. की राशि को अपने खातों में दर्शाया है जबकि यह राशि पांच क्लस्टर संस्थाओं अर्थात् टीएचएसटीआई, एनआईआई तथा बॉयो-इक्यूबेटर इत्यादि की समेकित निधि की राशि थी जिसमें आरसीबी के लिए केवल 6500.65 लाख रु. शामिल किए गए हैं। आरसीबी के अतिरिक्त, इस निधि को, आरसीबी के नियमित खाते से इतर दर्शाया जाना था।

(ख) 6500.65 लाख रु. की लागत को भवन एवं सड़कों पर खर्च किया गया, जिनका निर्माण पूरा कर मार्च 2015 में उपयोग हेतु सौंप दिया गया है, किंतु इस राशि को परिसंपत्तियों के अंतर्गत अभी तक दर्शाया नहीं गया है। इस पर किसी प्रकार के मूल्यांकन की वसूली भी नहीं की गई है।

(ङ) प्रबंधन का पत्र

लेखापरीक्षा में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उनके बारे में उपचारी/सुधारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से कार्यपालक निदेशक, आरसीबी को सूचना भेज दी है।

(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित हमें प्रस्तुत किए गए तुलनपत्र, आय-व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता बहीखातों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय और प्राप्त सूचना तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, खातों पर लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण जो उक्त वर्णित उल्लेखनीय विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन हैं, के आधार पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट निरूपण प्रकट करते हैं

(क) जहां तक 31 मार्च 2018 तक तुलनपत्र तथा आरसीबी के क्रियाकलापों का संबंध है, एवं

(ख) जहां तक आय-व्यय खातों के संबंध में जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए न तो आधिक्य और न ही कमी पाई गई है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक : 09/01/2019

स्थान : नई दिल्ली

**महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वैज्ञानिक विभाग)**

डॉ. दीपिका भास्कर, कुलसचिव

अनुलग्नक - 1

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी) की आंतरिक लेखापरीक्षा मूल वेतन एवं लेखा कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा की जानी अपेक्षित थी जिसे मार्च 2017 तक पूरा कर लिया गया था। कुल मिलाकर 34 पैरा (2010-14 तक की अवधि के लिए एक और 2014-17 तक की अवधि के लिए 33) आज तक (सितंबर 2018) लंबित हैं।

(ख) अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच प्रक्रिया

जीएफआर-22 फार्म में नियम 211 (ii) (a) के अनुसार आरसीबी में अचल परिसंपत्तियों के लिए रजिस्टर बनाया नहीं गया है, यह भी देखा गया कि अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच कभी नहीं की गई है।

(ग) वस्तु सूची की भौतिक जांच प्रक्रिया

2013-14 तक की अवधि के लिए उपभोग्य मदों तथा सामग्री की भौतिक जांच की जा चुकी है तथा कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई। तथापि, देखा गया है कि भौतिक जांच रिपोर्ट जीएफआर में अनुमोदित प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं की गई थी। आरसीबी में केंद्रीकृत भंडारगृह की कोई सुविधा नहीं थी। स्टॉक प्रविष्टियों के लिए रजिस्टर बनाए गए हैं किंतु केंद्रीकृत भंडारण की सुविधा न होने के कारण भंडारित मदों की भौतिक गणना संभव नहीं थी क्योंकि वस्तुएं मांगकर्ता विभागों को सीधे जारी की गई थीं।

(घ) सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितताएं

आरसीबी आमतौर पर सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता का पालन करता है। तथापि, 31 मार्च 2018 को शुल्क एवं करों के रूप में 35.68 लाख रु. की राशि बकाया पाई गई।

(ङ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

क) आरसीबी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त थी, हालांकि आरसीबी के पास खरीद/आपूर्ति हेतु अपने लेखा नियम तथा मानक दिशानिर्देश/नियम उपलब्ध नहीं हैं।

ख) बैंक समाधान विवरण

आरसीबी द्वारा मार्च 2018 के लिए बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत किए जिनसे विदित हुआ कि बचत खातों में जारी किए गए 269.31 लाख रु. की राशि के चौक बैंक में दर्शाए नहीं गए हैं और इनमें से 0.14 लाख रु. की राशि के 11 चौक समयवर्जित हो गए तथा चालू खातों से संबंधित 27.92 लाख रु. के चौकों को भी बैंक में दर्शाया नहीं गया जिनमें 6.62 लाख रु. की राशि के 7 चौक प्राप्त कर उन्हें बैंक में जमा किया गया तथा 4.26 लाख रु. की राशि के 36 चौक जारी तो किए गए किंतु उन्हें बैंक में जमा न करने के कारण वे भी समयवर्जित हो गए।

ग) यद्यपि डीबीटी से आरसीबी द्वारा प्राप्त वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान सहायता के संबंध में प्रोविजनल उपयोगिता प्रमाण-पत्र मंत्रालय को भेज दिए गए हैं किन्तु वे जीएफआर 2017 के फार्म 12-A (नियम 238-1) के अनुसार नहीं थे।

निदेशक (निरीक्षण)

प्रपत्र

वर्ष 2017-18 के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1.	स्वायत्त निकाय द्वारा लेखापरीक्षा के खातों को प्रस्तुत करने की तिथि	3.08.2018
2.	जहां लागू हो संशोधन हेतु खातों को लौटाए जाने के कारण जिसमें दर्शाया गया हो कि खातों को पात्रता सहित प्रमाणित क्यों नहीं किया जा सका	लागू नहीं
3.	लेखापरीक्षा हेतु संशोधित खातों को प्रस्तुत करने की तिथि जहां संशोधन अनिवार्य समझा गया	लागू नहीं
4.	लेखापरीक्षा शुरू करने तथा समापन की तिथि	11.09.2018 से 28.09.2018
5.	(क) मुख्यालय को एसएआर जारी करने की तिथि	16.10.2018
	(ख) जवाबी टिप्पणियों के लिए स्वायत्त निकाय को मसौदा एसएआर जारी करने की तिथि	
	(ग) स्वायत्त निकाय के जवाबों को लिखने के उपरांत मुख्यालय को मसौदा एसएआर जारी करने की तिथि	
	स्वायत्त निकाय से प्राप्त जवाब/टिप्पणियां (यदि प्राप्त हुई हैं) करने की तिथि	26.11.2018
6.	स्वायत्त निकाय के जवाब/टिप्पणियों सहित मसौदा एसएआर जारी करने की तिथि जिसमें सीएजी कार्यालय को अनुमोदन हेतु एड-मैमोयर शामिल है	01.01.2019

7.	(क) एसएआर अनुमोदन दिए जाने से संबंधित सीएजी कार्यालय के पत्र की तिथि (ख) 8(क) पर पत्र एवं अनुमोदन प्राप्ति की तिथि	08.01.2019									
8.	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को जारी की गई अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि										
9.	विभिन्न चरणों पर विलंब, यदि कोई है, के कारण										
10.	संसद, विधान मंडल के समक्ष विगत लेखापरीक्षा प्रस्तुत करने की तिथियां (जहां विगत वर्षों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हैं, और जिन वर्षों से यह संबंधित है, उनका भी उल्लेख किया जा सकता है।)	<table border="1"> <tr> <th>वर्ष</th> <th>लोकसभा</th> <th>राज्यसभा</th> </tr> <tr> <td>लागू नहीं</td> <td>लागू नहीं</td> <td>लागू नहीं</td> </tr> <tr> <td>लागू नहीं</td> <td>लागू नहीं</td> <td>लागू नहीं</td> </tr> </table>	वर्ष	लोकसभा	राज्यसभा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष	लोकसभा	राज्यसभा									
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं									
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं									

महानिदेशक, लेखापरीक्षा (एसडी)

मनीश कुमार, महानिदेशक

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY**(Institution of National Importance set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2019

No. RCB/AA/2019/01.—The Annual Accounts of the Regional Centre for Biotechnology for the year 2017-18 and Auditors report thereon are published as required under Section 32 (4) of the Regional Centre for Biotechnology Act 2016 (36 of 2016).

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018**

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule		Current Year		Previous Year
CAPITAL GRANTS FOR INFRASTRUCTURE	1	--	1589,46,572	--	1666,00,236
RESERVES AND SURPLUS	2	--	4,15,012	--	4,15,012
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7(A)	--	6113,93,319	--	566,11,128
BIOTECH SCIENCE CLUSTER (BSC)	7(B)	--	22889,71,991	--	21968,73,773
TOTAL			30597,26,894		24205,00,149
ASSETS					
FIXED ASSETS	8	--	1432,10,252	--	1588,23,292
INVESTMENTS – OTHERS	10 & 11 (B)	--	2575,97,100	--	--
CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES ETC.	10 & 11 (A+C)	--	5548,55,187	--	2677,84,714
BIOTECH SCIENCE CLUSTER (BSC)	10 & 11(D)	--	21040,64,355	--	19938,92,143
a. Capital work in progress	8	19689,73,829		19519,46,843	
b. Advance in BSC construction	10 & 11 (D ii & iii)	1062,43,350		311,38,229	
c. Funds in short term deposits	10 & 11 (D i)	34,00,000		34,00,000	
d. Accrued interest & TDS	10 & 11 (iv+v)	74,47,176		74,07,071	
TOTAL			30597,26,894		24205,00,149

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		Enclosed Separately
NOTES TO ACCOUNTS, CONTINGENT LIABILITIES	25		Enclosed Separately

BIJU MATHEW
SENIOR MANAGER (A&F)

SUDHANSHU VRATI
EXECUTIVE DIRECTOR

PLACE: Faridabad

Date: 10/08/2018

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR YEAR ENDED
31ST MARCH, 2018**

Amount (In Rs.)

SCHEDULE 22 – Status of Contribution from Constituents of the NCR Biotech Science Cluster & Expenditure	Opening balance on 01.04.2017	Additions during the year 2017-18	Closing balance as on 31.03.2018
Contribution and interest			
1. Translational Health Science & Technology Institute	10116,38,536	--	10116,38,536
2. National Institute of Immunology	1879,02,000	--	1879,02,000
3. Regional Centre for Biotechnology	6500,65,000	--	6500,65,000
4. BIRAC Bio-Incubator	2070,15,848	279,00,000	2349,15,848
5. Advance Technology Platform Centre	577,22,000	398,84,000	976,06,000
6. Interest on Investment of BSC Funds	722,16,030	4,19,413	726,35,443
Total Contribution from constituents	21865,59,414	682,03,413	22547,62,827
Advances, Expenditure and outflow			
1. Capital Work in Progress	19519,46,843	350,26,986	19869,73,829
2. Advance to BSC construction	311,38,229	751,05,121	1062,43,350
3. Margin money against security in MCF	34,00,000	--	34,00,000
4. Accrued interest & TDS	74,07,071	40,105	74,47,176
Total funds utilized	19938,92,143	1101,72,212	21040,64,355
Balance of NCR funds with RCB	1926,67,721		1506,98,472

BIJU MATHEW
SENIOR MANAGER (A&F)

SUDHANSHU VRATI
EXECUTIVE DIRECTOR

PLACE: Faridabad

Date: 10/08/2018

Regional Centre for Biotechnology

Schedule 24: Accounting Policies and Notes Forming Parts of the Balance Sheet and Income & Expenditure Account for the Year Ended at 31st March, 2018

1. The annual accounts have been prepared in the revised format of accrual system of accounting.
2. Since the RCB Bill has been passed and notified on 01.03.2017 and thereafter the Statutes, Ordinances and Regulations approved during September 2017, the liabilities on account of Gratuity & leave encashment of the

Centre has been incorporated in the accounts for the FY 2017-18 in accordance with the approved service conditions of the RCB, based on the actuarial valuation.

3. (a) Recurring Grants have been recognized in the Income & Expenditure account and non-recurring Grants have been shown as part of capital.
(b) Grants for core funds relating to depreciable fixed assets are treated as deferred income and recognized in the Income and Expenditure Account on a systematic and rational basis over the useful life of such assets i.e. such grants are allocated to income over the periods and in the proportions in which depreciation is charged (As per Accounting Standard 12). During the year income recognized in respect of such Grants amounts to Rs. 576,53,664.00
4. (a) The depreciation has been provided w.e.f. the date of installation / put to use of fixed assets as per the rates prescribed by the Income Tax Act 1961. During the previous year depreciation has been charged as per rate prescribed.
(b) Depreciation has been charged during the year of acquisition and no depreciation is provided during the year of assets sold/ discarded. In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.
5. (a) Fixed assets have been created with core grants received from the Department of Biotechnology. No equipment procured out of project funds have yet been capitalized.
(b) Fixed Assets are stated at cost acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.
6. All purchases of chemicals, glassware, consumables and stationery have been charged to consumption at the time of purchase without working out closing stock at the end of the year.
7. Further all entries relating to purchase of consumables/ equipments or other fixed assets in accounts are being passed only at the time of submission of satisfactory inspection/ installation report irrespective of the date of actual receipt of the supplies/ equipments.
8. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of transaction.
9. The institute has a policy of incurring expenditure on various projects in accordance with the sanctioned budget under various heads of accounts irrespective of the actual releases during a financial year. Since the actual release of money by the sponsoring agency is subject to various factors, the expenditure on approved heads of accounts is being incurred within the overall sanction of the project.
10. The balances of the previous year have been rearranged as per requirement and shown in Balance Sheet against the relevant heads.
11. Expenses and Overheads incidental to construction of building of institute as well as other buildings in the NCR BSC, as reported by the Project Monitoring Consultant (Engineers India Limited), are added to the capital work in progress to be capitalized along with the building, only on submission of final accounts by the PMC. The project is being operated with an agreement which stipulates operation of an Escrow Account by NCR Biotech Science Cluster. The authorized signatories are Engineers India Ltd. (Project management Consultant).
12. The institute has received contribution of Rs. 2254,47,62,827.00 (including RCB) from various institutes for Phase I & Phase I (Extension) of the construction of campus at Faridabad. The consolidated details are as under:

Sl. No.	Constituent Partner	Opening Balance as on 01.04.2017	Received during 2017-18	Total receipts on 31.03.2018
1.	THSTI	10116.39		10116.39
2.	NII	1879.02	-	1879.02
3.	RCB	6500.65	-	6500.65
4.	Bio-Incubator	2070.16	279.00	2349.16
5.	ATPC	577.22	398.84	976.06
6.	Interest on investment of BSC funds	722.16	4.20	726.35
	Total	21865.59	682.04	22547.63

and the total expenditure incurred as on 31st March 2018 against such contribution is amounted to Rs. 21040,64,355.00. Although the construction is 100% completed as per the contract by EIL, the final settlement of accounts and capitalization of assets is pending submission of the final bill by EIL.

13. The Capital Work-in-progress booked in the accounts includes the already constructed laboratory buildings of THSTI, RCB, NII, ATPC, Bio-incubator, the hostels & faculty housing and common facilities like the Engineering services, the roads, the electrical installations, the sewerage treatment plant etc. The constituent wise allocation of expenditure & capitalization of assets including common facilities will be done on closure of the project, in accordance with the formal agreement made by the constituent partners.

Schedule 25: Contingent Liabilities

1. Purchase orders for consumables worth Rs. 81,68,697.00 ordered during 2017-18 are outstanding as on 31.03.2018 which have not been recognized in the books of accounts.
2. Purchase orders for Equipment worth Rs. 66,06,581.00 ordered during 2017-18 are outstanding as on 31.03.2018 which have not been recognized in the books of accounts.

BIJU MATHEW
SENIOR MANAGER (A&F)

SUDHANSHU VRATI
EXECUTIVE DIRECTOR

PLACE: Faridabad

Date: 10/08/2018

In case of any variation between the English and Hindi version, the contents of English version may be treated as final

Separate Audit Report of Comptroller and Audit General of India on the accounts of Regional Centre for Biotechnology, Faridabad for the year ended 31 March 2018

1. We Have audited the attached Balance Sheet of Regional Centre for Biotechnology (RCB), Faridabad at 31 March 2018 and the Income and Expenditure Account/ Receipt and Payments Account for the year on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Audit General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act, 1971 read with section 32 (1) of RCB Act, 2016. These financial statements are the responsibility of the RCB's management. Our responsibility is to opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Audit General of India on the accounting treatment only with regards to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transaction with regard to compliance with the Law, Rule & Regulations (Property and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/ Comptroller and Auditor General's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accept in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from materials misstatements. An Audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statement: An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, We report that-
 - (i) We have obtained all the information and explanations except those stated in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - (ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India;
 - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by RCB, except those stated in this audit report.
 - (iv) We further report that :

(A) BALANCE SHEET

1. Corpus Fund-(Schedule-1)-Rs.15.89 crore

RCB included total Capital Grant of Rs. 500.00 lakh under the Capital/ Corpus fund whereas the amount of grant actually capitalized was Rs. 421.08 lakh which was to be shown under the corpus fund as additions during the year. Thus, there was difference of Rs. 78.82 lakh and this difference was to be shown under the Current Liabilities.

This has resulted in overstatement of Corpus Fund by Rs. 78.82 lakh and understatement of the Current Liabilities against Government Grant to the same extent.

(B) Income & Expenditure Account

1. **Income:** Interest on Fixed Deposits/ Saving Account-(Schedule 18)-Rs. 45.07 lakh

- a) Interests amounting of Rs. 45.07 lakh earned on saving out of core grant were taken as its 'Income' in Income and Expenditure Accounts. This was to be reported/ refunded to DBT.

Thus, RCB overstated its Income and understated Current Liabilities towards 'Unspent grant refunded to Govt.' each Rs. 45.07 lakh.

2. **Expenditure:**

2.1 **Other Administrative Expenses:**

(Schedule 21: Rs. 1086.99 lakh)

Above included expenditure of Rs. 31.70 lakh pertaining to previous year which should have booked under Prior Period Expenditure. This has resulted into overstatement of other Administrative Expenses and understatement of Prior Period Expenditure by Rs. 31.70 lakh each.

(C) GRANT-IN-AID

RCB received total grant of Rs. 20.65 Crores from DBT during 2017-18, besides having carried forward unspent grant of Rs. 1.83 Crore for the year 2016-17. This apart interest income of Rs. 0.45 crore and revenue from internal resources of Rs. 0.69 crore was also received. Thus, RCB took the entire receipt of Rs. 23.62 crores as available for expenditure. RCB utilized a sum of Rs. 21.21 crore and Rs. 2.38 crore (prior period) leaving a balance of Rs. 0.03 crore was shown as unutilized grant as on 31 March 2018.

(D) General:

- (a) RCB had shown Bio-tech Science Cluster (BSC) funds amounting to Rs. 22889.72 in their own Accounts whereas this has been the amount of pooled funds of five cluster entities e.g. THSTI, NII and Bio-Incubator etc. including only Rs. 6500.65 lakh for RCB. The funds other than RCB needs to be shown outside this regular account of RCB.
- (b) The buildings and roads costing Rs. 6500.65 lakh though completed and handed over for use in March 2015 have not yet been reflected under Assets. No depreciation either has been charged on it.

(E) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Executive Director RCB through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state-of-affairs of the RCB as of 31 March 2018; and
- (b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account of neither surplus nor deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of CAG of India

**Director General of Audit
(Scientific Departments)**

Dated:

Place: New Delhi

Dr. DEEPIKA BHASKAR, Registrar

Annexure-I**(A) Adequacy of Internal Audit System**

Internal Audit of the Regional Centre for Biotechnology (RCB) was required to be conducted by the Internal Audit Wing of Principal Pay & Accounts Office of the Department of Science & Technology, New Delhi which was completed upto March 2017. A total number of 34 paras (one pertained to the period 2010-14 and 33 pertained to the period 2014-17) were outstanding till date (September, 2018).

(B) System of Physical Verification of Fixed Assets

Register of Fixed Assets was not being maintained in RCB as per Rule 211(ii)(a) in Form GFR-22, it was further observed that physical verification of Fixed Assets has never been conducted.

(C) System of Physical verification of inventory

The Physical verification of Consumable items and Materials has been carried out for the period upto 2013-14 and no discrepancy was reported. It was, however, observed that the physical verification report was not as per the approved format as per GFRs. There was no facility for Central Store in RCB. The registers for stock entries were maintained but there was no central store facility in absence of which physical count of store items was not possible as the inventories were issued directly to the indenting sections.

(D) Regularity in payment of statutory dues:

RCB was generally regular in payment of Statutory Dues. An amount of Rs. 35.68 lakh was, however, due as duties and taxes to be paid as of 31st March 2018.

(E) Adequacy of Internal Control System

a) Internal control system of RCB was adequate; however, RCB did not have its Accounting Manual and standard guidelines/manual for purchase/ procurement.

b) Bank Reconciliation Statement:

RCB furnished the bank reconciliation statement for the month of March 2018 which revealed that in Saving bank account cheques issued amounting to Rs. 269.31 lakh by RCB were not reflected in the bank account and out of it 11 cheques amounting to Rs. 0.14 lakh became time barred and in Current Accounts cheques amounting to Rs. 27.92 lakh were not reflected in the bank out of which 7 cheques received and deposited in banks amounting to Rs. 6.62 lakh and 36 cheques issued but not presented in the bank amounting to Rs. 4.26 lakh have become time barred.

c) Though the provisional Utilization Certificate(s) for the financial year 2017-18 in respect of the grants-in-aid received by RCB from DBT were sent to Ministry but it was not as per Form 12-A (under Rule 238-I) of GFRs 2017.

Director (Insp.)

PROFORMA

**Separate Audit Report on the accounts of Regional Centre for Biotechnology, Faridabad
for the year 2017-18**

1.	Date of submission of the accounts to the Audit by the autonomous body	13.08.2018
2.	Where applicable, reasons for returning the accounts for revision indicating why the accounts could not be certified with qualifications	NA
3.	Date of submission of revised accounts to Audit where revision was considered essential	NA
4.	Dates on which audit was taken up and completed	11.09.2018 to 28.09.2018
5.	a) Date of issue of SAR to Head Office b) Date of issue of draft SAR to Autonomous Body for replies/comments.	16.10.2018

	c) Date of issue of draft SAR to Head office after incorporating reply of Autonomous Body			
	Date of receipt of replies/comments from Autonomous Body (if received)	26.11.2018		
6.	Date of issue of draft SAR including replies/comments of Autonomous Body along with an Aide-Memoir to CAG's office for approval	01.01.2019		
7.	a) Date of CAG's office letter communicating approved SAR b) Date of receipt of letter and approval at 8(a)	08.01.2019		
8.	Date of issue of final Audit Report to Government of India/State Govt./CAG's office			
9.	Reasons for delay, if any, at various stages			
10.	Dates of presentation of the previous Audit Reports before Parliament/Legislature (where the Audit Reports for previous years have not been placed, years to which these pertain, may also be indicated.)		Year	Lok Sabha
			NA	NA
			NA	NA

Director General of Audit (SD)

MANISH KUMAR, Director General